

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांक २६७७ एम/३५ एम:-मे०वृ०/१८-१९

दिनांक १५/०५/२०१८

-: कार्यालय-ज्ञाप :-

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं० ४१०४एम/३५एम-मे०वृ०/१७-१८ दि० २५.१०.२०१७ द्वारा इस वृत्त अन्तर्गत आने वाले जनपद मेरठ एवं बागपत हेतु शेड्यूल ऑफ रेट्स का निर्धारण (बिना जी.एस.टी.) किया गया था शासन के पत्रांक सी.एम.१३८/२३-९-२०१८-२१ जनरल/२०१४ लो०नि० अनुभाग-९ लखनऊ दिनांक ०२.०४.२०१८ के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम शेड्यूल ऑफ रेट्स संशोधन/परिमार्जन किया जाना है। अतः संदर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद मेरठ व बागपत के लिये लो०नि०वि० शेड्यूल ऑफ रेट्स के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एक बैठक दिनांक ११.०५.१८ को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया:-

१. सर्वश्री राम अवतार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ।
२. " " प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ।
३. " " संजय प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो०नि०वि०, मेरठ।
४. " " संजय कुमार, गौतम, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत।
५. " " गोपाल स्वरूप, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो०नि०वि०, मेरठ।
६. " " हरपाल सिंह, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत।
७. " " जितेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता (प्रावैधिक), कार्यालय मुख्य अभियन्ता, प०क्ष०, लो०नि०वि०, मेरठ।
८. " " सीमा यादव, अवर अभियन्ता (प्रावैधिक), मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ।

बैठक में जनपद मेरठ व बागपत में प्रचलित निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों की दरों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। पुनरीक्षित की जा रही दरों में जी०एस०टी० एवं लेबर सेस को छोड़कर अन्य समस्त कर जैसे उपकर, लेवी, फी, रॉयल्टी टोल आदि दरों में सम्मिलित है। क्वैरी दरों में लोडिंग-अनलोडिंग भी शामिल है। इस कारण आ००एम०आ० बनाते समय दुलाई की दरों में सम्मिलित लोडिंग-अनलोडिंग चार्ज नियमानुसार घटाया जाये।

मार्ग निर्माण सामग्री की दुलाई की दरें, लखनऊ वृत्त, लखनऊ द्वारा जारी इस वृत्त हेतु भी मान्य होगी वित्तीय नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ही कार्य सम्पादित कराया जायेगा। शेड्यूल की समस्त दरें केवल राजकीय प्रयोगार्थ आगणन गठन के लिये मान्य हैं तथा न्यायालय/वैधानिक प्रयोगार्थ मान्य नहीं होगी।

दरें दिनांक १५.०५.२०१८ से प्रभावी होगी। शेड्यूल ऑफ रेट्स के सम्बन्ध में इससे पूर्व में जारी समस्त कार्यालय ज्ञापों को निरस्त समझा जाये।

(राम अवतार शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता

मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पुनरीक्षित शेड्यूल ऑफ रेट्स की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

१. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष), उ०प्र०, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
२. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), उ०प्र०, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
३. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
४. मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लो०नि०वि०, लखनऊ।
५. मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
६. अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त/सहारनपुर वृत्त लो०नि०वि०, बुलन्दशहर/सहारनपुर।
७. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मेरठ मण्डल मेरठ।
८. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ/बागपत।
९. अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०/नि०ख०/नि०ख०(भवन) लो०नि०वि०, मेरठ/बागपत।
१०. अवर अभियन्ता (प्रावैधिक), मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ।

अधीक्षण अभियन्ता

मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ
१५-५-१८